

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी: संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 12/2022
दायर दिनांक: 21.12.2022
निर्णय दिनांक: 14.02.2023

उनवान

1. विमला पत्नी रामकरण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी मोडापट्टी तह० व जिला दौसा।
2. विनोद पुत्र रामकरण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी मोडापट्टी तह० व जिला दौसा।
3. अशोक पुत्र रामकरण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी मोडापट्टी तह० व जिला दौसा।
4. रामराय पुत्र बट्टी जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी मोडापट्टी तहसील व जिला दौसा।

अपीलान्ट

वनाम

1. किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र हरसहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी मोडापट्टी तहसील व जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा।
3. तहसीलदार तहसील दौसा।
4. ग्राम पंचायत महेसरा खुर्द जरिये सरपंच।

रेस्पोंडेन्ट

5. सरोज पुत्री रामकरण पत्नि रामअवतार जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. रामपति पुत्री रामकरण पत्नि रामगोपाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी प्रेमनगर 80 फीट रोड महेसरा नगर जयपुर।

प्रफोर्मा रेस्पोंडेन्ट

1. अपीलान्ट्स की ओर से - श्री गंगासहाय शर्मा, एडवोकेट।
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से - श्री वरुण नागर, एडवोकेट।
3. रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से - श्री मक्खन शर्मा, एडवोकेट।

(5)
उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)


4

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 27.09.1977 ग्राम पंचायत महेसरा खुर्द
तहसील दौसा जिला दौसा।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ग्राम मोडापट्टी के रहने वाले है एवं ग्राम मोडापट्टी में पूर्व खाता संख्या 134 की भूमि खसरा नम्बर 173 मिन रकबा 4 बीघा स्थित थी, जिसमें शंकरलाल पुत्र सेडू भूमि के खातेदार थे, जिनका देहान्त करीब 45-47 वर्ष पूर्व हो चुका है। उनका पारिवारिक शजरा निम्न प्रकार से है:-

शंकर पुत्र सेडू				
बद्री फोट				
रामकरण पुत्र फोट		रामराय पुत्र		सांझा पत्नि
विमला देवी पत्नि	विनोद पुत्र	अशोक पुत्र	सरोज पुत्री	रामपति पुत्री

उक्त शजरे अनुसार शंकरलाल की विरासत से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 किशनलाल का कोई संबंध वास्ता नहीं है। किशनलाल बद्री का पुत्र नहीं है, लेकिन विरासत का जो नामान्तरकरण संख्या 147 खोला गया है, उसमें गलत तौर से किशनलाल को बद्री का पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण खोल दिया गया। अपीलान्ट्स अनभिज्ञ लोग है, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है। पिछले कुछ समय से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट्स के हक अधिकारों में उक्त गलत नामान्तरकरण के आधार पर हस्तक्षेप करना चाहता है। अपीलान्ट्स को कभी भी उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी भी नहीं थी। हाल ही में जब दिनांक 16.11.2022 को रेस्पोंडेन्ट संख्या एक ने विवाद करने की कोशिश की तो अपीलान्ट्स ने रिकार्ड देखा व नामान्तरकरण की नकल दिनांक 25.11.2022 को प्राप्त हुई तो अपीलान्ट को जानकारी हुई कि ग्राम पंचायत महेसरा खुर्द ने बिना किसी जांच के व बिना अपीलान्ट को नोटिस दिए हुए शंकर पुत्र सेडू की विरासत के नामान्तरकरण में अपीलान्ट संख्या 1 के पति व अपीलान्ट्स संख्या 2 व 3 के पिता रामकरण व अपीलान्ट संख्या 4 रामराय के साथ साथ किशनलाल का नाम भी विरासत में जोड़कर नामान्तरकरण खोल दिया गया है। ग्राम पंचायत महेसरा खुर्द का नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 27.09.1977 विधि विरुद्ध एवं नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 हरसहाय पुत्र ईसरा का लडका है, जिसका शंकर पुत्र सेडू व बद्री पुत्र शंकर की विरासत से कोई संबंध वास्ता नहीं है। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने बगैर कोई जांच किये एक गलत शजरा बनाकर उक्त नामान्तरकरण खोला गया है। जब किशनलाल बद्री का पुत्र है ही नहीं एवं वह हरसहाय का पुत्र है तो उक्त नामान्तरकरण किस आधार पर खोला गया, इसका कोई स्पष्ट अंकन नामान्तरकरण में नहीं किया गया है एवं इसकी सही




उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज)

रूप में जांच नहीं की गई है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 प्रारम्भ से ही अपने पिता हरसहाय के पास रहा है एवं उसके स्कूल के रिकार्ड में व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मार्कशीट में भी उसके पिता का नाम हरसहाय है एवं आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में भी पिता का नाम हरसहाय ही है। हरसहाय पुत्र ईशरा के हरिनारायण, किशनलाल, रामप्रसाद व सुरेश चार पुत्र हैं व शान्ति देवी पत्नि हैं। वैसे भी उक्त आदेश प्रारम्भतः शून्य (एविनिश्यो वोईड) है, क्योंकि जो व्यक्ति अर्थात् किशनलाल शंकर का पौत्र व शंकर के पुत्र बन्नी की सन्तान ही नहीं है व उसकी विरासत से कोई संबंध नहीं है तो ऐसा नामान्तरकरण शून्य है व ऐसे नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील की कोई मियाद नहीं है। फिर भी यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है। जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर ग्राम पंचायत महेश्वर खुर्द का नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 27.09.1977 को निरस्त करने की कृपा करें एवं उक्त नामान्तरकरण से रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का नाम हटाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट्स की तलबी की गई। मूल नामान्तरकरण संख्या 147 ग्राम मोडापट्टी को तलब किया गया। वकील अपीलान्ट्स ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 एवं दस्तावेजों की सूची के साथ शान्ति देवी पत्नि हरसहाय एवं सांझा देवी पत्नि बन्नीनारायण का शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्रों का मुख्य परीक्षण किया गया। अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1, 5 व 6 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए एवं राजीनामा बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट की पहचान इनके अधिवक्ता श्री गंगासहाय शर्मा, रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की पहचान इनके अधिवक्ता श्री वरुण नागर एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 5 व 6 की पहचान इनके अधिवक्ता श्री मकखन शर्मा द्वारा की गई। उपस्थित पक्षकारान ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। शान्ति देवी पत्नि हरसहाय ने शपथ पत्र पेश कर किशनलाल उर्फ रामकिशन को उसका एवं उसके पति हरसहाय पुत्र ईशरा का पुत्र माना है तथा किशनलाल उर्फ रामकिशन को बन्नी का पुत्र बताते हुए जो नामान्तरकरण खोला गया है, वह गलत खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। सांझा देवी पत्नि बन्नीनारायण ने शपथ पत्र पेश कर किशनलाल उर्फ रामकिशन को उसका एवं उसके पति बन्नी का पुत्र नहीं होना तथा हरसहाय पुत्र ईशरा का पुत्र माना है तथा किशनलाल उर्फ रामकिशन को बन्नी का पुत्र बताते हुए जो नामान्तरकरण खोला गया है, वह गलत खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभयपक्षों की ओर से पेश राजीनामा के अनुसार रेस्पोजेन्ट संख्या 1 किशनलाल उर्फ रामकिशन के पिता का नाम हरसहाय पुत्र ईशरा है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 बन्नी पुत्र शंकर का पुत्र नहीं है। बन्नी पुत्र शंकर के दो ही पुत्र रामकरण व रामराय थे, जिनमें से रामकरण की मृत्यु हो गई तथा रामकरण के वारिस अपीलान्ट विमला (पत्नि), विनोद व अशोक (पुत्र) तथा सरोज व रामपति (पुत्रियां) हैं। हरसहाय पुत्र ईशरा के चार पुत्र हरिनारायण, किशनलाल उर्फ रामकिशन, रामप्रसाद व सुरेश व शान्ति देवी पत्नि हैं



(5)

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(6)

प्रकरण संख्या: 12/2022
विगला वगै० बनाम किशनलाल उर्फ रामकिशन वगै०
निर्णय दिनांक: 14.02.2023

तथा भगवती देवी पुत्री है। हरराहाय पुत्र ईशरा वगै० भी गृत्यु हो चुकी है। ग्राम पंचायत द्वारा किशनलाल को बन्नी पुत्र शंकर का पुत्र व शंकर पुत्र रोखू का पौत्र बताकर जो नामान्तरकरण संख्या 147 खोला गया है, वह गलत व अवैध रूप से बिना कोई जांच किये स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तरकरण अवैध व शून्य है तथा उसे निरस्त कर दिया जावे। इसमें उभयपक्षों ने अपनी पूर्ण सहमति दी है। अतः नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 27.09.1977 ग्राम गोडापट्टी को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्द्रस स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 27.09.1977 ग्राम गोडापट्टी को निरस्त किया जाता है तथा इस आशय के साथ तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तरकरण वापस लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।



(संजय कुमार मोरी)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उप दौसा (संजय)